रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256836
CG-DL-E-02092024-256836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3406] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946
No. 3406] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.आ. 3736(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ. 3549(अ) द्वारा, तारीख 30 दिसंबर, 2015 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3549(अ) द्वारा, तारीख 30 दिसंबर, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक 3549(अ) द्वारा, तारीख 30 दिसंबर, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"5. मानीटरी समिति. – (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक मानीटरी समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(i)	संभागायुक्त, राजस्व प्रभाग, पटना	- अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	वन संरक्षक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार सरकार	- सदस्य, पदेन;
(iii)	खान और भू-विज्ञान विभाग का एक प्रतिनिधि, बिहार सरकार	- सदस्य, पदेन;
(iv)	जिला भूमि संरक्षण अधिकारी का एक प्रतिनिधि, रोहतास या कैमूर	- सदस्य, पदेन;
(v)	विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के एक प्रतिनिधि को प्रत्येक तीन वर्ष के लिए बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।	- सदस्य;
(vi)	प्रत्येक तीन वर्ष के लिए बिहार सरकार द्वारा पारिस्थितिकी या पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाता है।	- सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य, पदेन;
(viii)	रोहतास जिले या कैमूर का एक प्रतिनिधि, कृषि विभाग, बिहार सरकार	- सदस्य, पदेन;
(ix)	रोहतास या कैमूर जिले का एक प्रतिनिधि, नगर विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार	- सदस्य, पदेन;
(x)	रोहतास या कैमूर के जिला कलेक्टर	- सदस्य, पदेन;
(xi)	प्रभागीय वन पदाधिकारी, कैमूर	- सदस्य, पदेन;
(xii)	प्रभागीय वन पदाधिकारी, रोहतास	- सदस्य सचिव, पदेन।"

(2) मानीटरी समिति, स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करती है जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में आती है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हैं, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय और यथास्थिति, उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केंदीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्राधिकरण समाघात निर्धारण को निर्दिष्ट किए गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैराग्राफ 4 की सारणी में प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मानीटरी समिति, मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर होते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"।

[फा. सं. 25/22/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 30 दिसंबर, 2015 को अधिसूचना संख्या का.आ. 3549(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

S.O. 3736(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Kaimur Wildlife Sanctuary, Bihar in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3549 (E), dated the 30th December, 2015;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3549(E), dated the 30th December, 2015;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule

(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3549 (E), dated the 30th December, 2015, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. Monitoring Committee. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the Provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(i)	Divisional Commissioner, Patna Revenue Division	Chairman, ex officio;
(ii)	The Conservator of Forest of the Kaimur Wildlife Sanctuary, Government of Bihar	Member, ex officio;
(iii)	One representative of the Department of Mines and Geology, Government of Bihar	Member, ex officio, ;
(iv)	One representative of the District Soil Conservation Officer, Rohtas or Kaimur	Member, ex officio;
(v)	One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment including heritage conservation nominated by the Government of Bihar for every three years.	Member;
(vi)	One expert in the area of ecology or environment nominated by the Government of Bihar for every three years.	Member;
(vii)	Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board	Member, ex officio;
(viii)	One representative of Rohtas districts or Kaimur, Agriculture Department, Government of Bihar	Member, ex officio;
(ix)	One representative of Rohtas districts or Kaimur, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar	
(x)	District Collector of Rohtas or Kaimur	Member, ex officio ;
(xi)	Divisional Forest Officer, Kaimur	Member, ex officio ;
(xii)	Divisional Forest Officer, Rohtas	Member Secretary, ex officio ."

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in **Annexure-III**, appended to this notification.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.''.

[F. No. 25/22/2014-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3549 (E), dated the 30th December, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.02 21:51:50 +05'30'